7750

IV-72/21

(1)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature
Acc Name- Akash Keshari
Acc Code- UP14106704
Acc add- Gangapur, Varanasi
Mobile- 9919895895
License No.- 458 15-16
District- Varanasi

Certificate No.	:	IN-UP67579012643805T
Certificate Issued Date	:	16-Sep-2021 02:32 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14106704/ VARANASI/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14106704240935493842 85T
Purchased by	:	JYOTI PRAKASH SINGH M E C T TH SHADANA SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JYOTI PRAKASH SINGH M E C T TH SHADANA SINGH
Second Party	:	JYOTI PRAKASH SINGH M E C T TH SHADANA SINGH
Stamp Duty Paid By	:	JYOTI PRAKASH SINGH M E C T TH SHADANA SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

10,000/-
100/30/30
=160/-

GANGAPUR VARANASI
E-STAMP
LOCKED

1000/-

.....Please write or type below this line.....

साधना सिंह

KC 0004619499

Digitally signed by PantaSign CA 2014
Date: 2025.03.30 15:22:34 +05:30
Reason: reason
Location: location

202101035007750

न्यास–विलेख(Instrument of Trust)

ज्योति प्रकाश सिंह मेमोरियल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट

यह न्यास पत्र दिनांक 16,09,2021 को ग्राम बनौली, नियर ब्लाक आफिस सेवापुरी, जिला वाराणसी द्वारा श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासिनी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 का न्यासी है। मो0नं0–8317038328

सर्वसम्मति से हम पक्षकार द्वारा यह विचार किया गया कि एक ऐसे न्यास का गठन किया जाये, जो सार्वजानिक एवं कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, वैकल्पिक ऊर्जा, युवा कल्याण, पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर एवं समस्त कलाकार जन (समस्त विधा) वर्ग के उत्थान व खेलकुद आदि का प्रचार एवं प्रसार के लिए कार्य करेंगे तथा मानव समाज में स्थायी सुख शांति संगठन सद्भाव, विश्वास गुणों की स्थापना हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक विकास व पर्यावरण की सुरक्षा व कृषि के विकास पशुपालन एवं उसकी सुरक्षा हेतु न्यास की स्थापना की जाये तथा साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्कूल / कॉलेज की स्थापना एवं प्रचार प्रसार हेतु न्यास की स्थापना की जाये तथा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाये तथा इसके निमित प्रारम्भ मुद्रा रु० 10,000 / –(रूपया दस हजार मात्र) संस्थापक ट्रस्टी प्रदान करते हैं, इसके आलावा कोई चल व अचल सम्पत्ति निहित नही है, जो कि निष्पदनकर्ता आजीवन संस्थापक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत करेंगी।

साधना सिंह

1. यह कि इस न्यास का पूर्ण नाम **ज्योति प्रकाश सिंह मेमोरियल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट** होगा।
2. यह कि इस न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा किन्तु इसका मुख्या कार्यालय ग्राम बनौली, नियर ब्लाक आफिस सेवापुरी, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में रहेगा।
3. यह कि इस न्यास के न्यासीगण का न्यासी मण्डल न्यूनतम तीन व्यक्तियो का सदस्य रहेगा। इस न्यास के प्रधान न्यासी हम निष्पादकगण श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासिनी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 और उनकी प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सदस्यो के नाम पिता / पति का नाम, पता पद जिनको ट्रस्ट के अनुसार कार्यभार सौपा गया है–
   1. श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासिनी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 **(अध्यक्ष)**
   2. अनुष्का गौतम पुत्री स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासिनी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 **(प्रबन्धक / सचिव)**
   3. वेद गौतम पुत्र स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह नाबालिग उम्र लगभग 13 वर्ष संरक्षिका माता खास श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 **(सदस्य)**
   4. अन्य सहायक न्यासीगण बनाये गये है। जिन्होने अपनी लिखित सहमति एवं स्वीकृति दे दिया है।
4. यह कि उपरोक्त न्यास के प्रधान न्यासी मण्डल में हम निषपादक और उपरोक्त उल्लेखित अन्य दो सहायाक न्यासीगण आजीवन न्यासी निम्नलिखित शर्तों के आधिन रहेगे और प्रधान न्यासी का सभी कार्य प्रधान न्यासी अथवा प्रथम न्यासी श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासिनी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 आजीवन रहेगे। और न्यास का सभी कार्य एवं संचालन भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्राविधान के अनुसार निष्ठापूर्वक, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ होता रहेगा और तदानुसार न्यासी मण्डल उपरोक्त शर्तो के आधिन कार्यरत रहेगा।

साधना सिंह

आवेदन सं०: 202101035007750

न्यास पत्र

वर्ष: 2021

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 72

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्रीमती साधना सिंह ,
पत्नी श्री स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी : ग्राम सुईचक (बडीबारी) पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 16/09/2021 एवं 03:20:49 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय देव
उप निबंधक गंगापुर
वाराणसी
16/09/2021

कमलेश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

5. यह कि इस न्यास के प्रधान न्यासी श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासिनी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 का आजीवन प्रधान न्यासी रहेगी अथवा प्रधान न्यासी रहेगी जब तक की वह अपने प्रधान न्यासी के पद से लिखित त्याग पत्र न दे दे।
6. यह कि प्रधान न्यासी का कार्य प्रधान न्यासी अथवा प्रथम न्यासी रूकसाना प्रतिदिन के कार्यो को सम्पदित करेगी।
7. यह कि प्रधान न्यासी का न्यास के लिये न्यासी नामित करने तथा उनका कार्यकाल निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. यह कि उपरोक्त न्यासी मण्डल का पूर्ण अधिकार प्रधान न्यासी व प्रथम न्यासी श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासिनी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 में समान्यतया निहित रहेगी।
9. यह कि प्रधान न्यासी का अधिकार होगा कि न्यास मण्डल में न्यासीगण की संख्या बढ़ाकर ग्यारह तक कर सकता है। प्रधान न्यासी को नामित न्यासीगण का कार्यकाल निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. यह कि प्रधान न्यासी को अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल में ही किसी सक्षम कर्मठ योग्य न्यास व संस्था के प्रति निष्ठावान व अपने पद पर प्रधान न्यासी नामित कर दे। इस नियुक्ति को किसी भी स्तर पर कोई भी चुनौती देने की शक्ति नही रखेगा। यदि प्रधान न्यासी अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी प्रधान न्यासी नामित नही कर सकता अथवा उत्तराधिकारी नामित करने में असमर्थ हो जाता है तो न्यासीगण न्यासी के पुत्रो में सुयोग्य एवं कर्मठ ट्रस्ट के प्रति निष्ठावान पुत्र को ही बहुमत के आधार पर प्रधान न्यासी नामित करेगे या प्रधान न्यासी चुनेगे। अन्य सहायक न्यासीगण की मृत्यु होने पर क्रमशः उनकी पत्नी एंव उसके पुत्र न्यासी बनेगे।
11. यह कि प्रधान न्यासी को किसी भी सहायक न्यासी को बिना कारण बताये हटाने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है व भविष्य मे रहेगा।
12. यह कि किसी प्रकार न्यासी का स्थान रिक्त होने पर प्रधान न्यासी द्वारा रिक्त स्थान भरा जायेगा एवं प्रधान न्यासी की इच्छा व अनुदेशो का आदर करते हुये रिक्त स्थान भरा जायेगा।
13. यह कि इस न्यास (ट्रस्ट) का विवाद न्यायालय में या अन्यत्र नही जायेगा। यदि भविष्य में कोई सहायक न्यासी या सदस्य किसी विवाद को न्यायालय में अन्यत्र दाखिल करेगा तो उस न्यासी को सदस्य की सदस्यता स्वतः

साधना सिंह

समाप्त हो जायेगी। न्यास के सम्बन्ध में विवाद होने पर प्रधान न्यासी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

14. यह कि न्यास की सम्पूर्ण भारतवर्ष में कही भी कोई अन्य चल अचल सम्पत्ति अर्जित करने अथवा प्राप्त करने और रखने व धारण करने का अधिकार होगा। और वह कुल सम्पत्ति इस न्यास की रहेगी। अथवा न्यास द्वारा संचालित किसी संस्था के नाम रहेगी। न्यास की सम्पत्ति का उपयोग न्यास के उद्देस्यो कि पुर्ति के लिये किया जायेगा। और इसकी कोई चल अचल सम्पत्ति को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य को स्थायी रूप से स्थानान्तरित करने का किसी को कोई अधिकार नही रहेगा।

15. यह कि किसी प्रकार कोई दान, चन्दा, सहायता अनुदान या अभिदान किसी व्यक्ति संस्था राज्य के द्वारा कोई सम्पत्ति या धन इस न्यास के लिये प्राप्त होगी व इस न्यास के नाम या इसके द्वारा संचालित संस्थाओ के नाम रहेगी।

16. यह कि इस न्यास या इस न्यास द्वारा संचालित संस्थाओ का वित्तीय एंव आर्थिक प्रबन्धक एवं प्रसाशन इस न्यास अथवा इसके द्वारा संचालित संस्था के हित में इसके नाम से सदैव सुचारू रूप से होता रहेगा, जिसकी व्यवस्था प्रधान न्यासी न्यासी मण्डल की ओर से रहेगा और उसके लिये आवश्यक कोर्स व उसके रख–रखाव की व्यवस्था किसी बैंक व डाकखाना वित्तीय संस्था आदि में उसके जमा लाभदायी निवेश आदि की व्यवस्था भी उसी प्रकार होती रहेगी जिसकी संचालन समान्यतः प्रधान न्यासी व प्रथम न्यासी के द्वारा या उसके निर्देशानुसार होता रहेगो। न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थओ के कोष संचालन न्यासी मण्डल की ओर से प्रधान न्यासी अथवा प्रथम न्यासी द्वारा किया जायेगा।

17. यह कि इस न्यास सभी आय व व्यय नियमानुसार लेखा–जोखा निरन्तर रखा जायेगा और समय–समय पर उचित एवं सक्षम व्यक्ति अथवा किसी चार्टेड एकाउटेन्ट या उसकी फर्म संस्था के द्वारा उनका सम्परीक्षण कराया जायेगा।

18. यह कि किसी कर्मचारी या अनुबन्धित व्यक्तिं या इस न्यास से सम्बन्धित किसी क्रियाकलाप की भी व्यवस्था या प्रबन्धक के पद नाम कार्य, कर्तव्य, दायित्व कार्यविधि आदि की भी व्यवस्था उपरोक्तानुसार न्यासी मण्डल अपने प्रधान न्यासी एवं प्रथम न्यासी के द्वारा करता रहेगा। और उनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा पद के दूरूपयोग या कार्य शिथिलता या कार्य उदासिनता या कार्यभाव आदि की दशा में उसके विरूद्ध तत्काल उचित

साधना सिंह

आवेदन सं॰: 202101035007750

बही स॰: 4 रजिस्ट्रेशन स॰: 72 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती साधना सिंह, पत्नी श्री स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह

निवासी: ग्राम सुईचक (बडीबारी) पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी।

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री बृजेश कुमार सिंह , पुत्र श्री स्व0 राजबिहारी सिंह

निवासी: सुईचक बडीबारी, गंगापुर, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री विकास कुमार सिंह , पुत्र श्री प्रमोद कुमार सिंह

निवासी: टोडरपुर, राजातालाब, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

विजय देव
उप निबंधक : गंगापुर
वाराणसी

कमलेश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

कार्यवाही करने का हक अधिकार भी प्रधान न्यासी प्रथम न्यासी में निहित रहेगी।

19. **न्यास के उद्देश्य–**

1. यह कि इस न्यास का उद्देश्य देश में विभिन्न राज्यों अथवा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्राईमरी, प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट के विभिन्न बोर्ड जैसे– (सी.बी.एस.ई. व यू0पी0 बोर्ड व आई.सी.एस.ई. बोर्ड) की स्थापना करना एवं प्रशिक्षण संस्थान, बी0टी0सी0 / एन0टी0सी0, बी0एड0 व एम0एड0 प्राविधिक एंव तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा पालिटेकनिक कालेज व इंजनियरिंग कालेज एवं मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन एवं पैरामेडिकल कालेज व हास्टल की स्थापना कर सकता है। गरीब एवं असहायो की सहायता करना भी न्यास का उद्देश्य है।

यह कि न्यास का इस समय शिक्षण संस्था (विद्यालय सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली द्वारा) मान्यता प्राप्त कर बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना जो निम्न है–

1. The Registered Society of the school will be renwed time to time.
2. The school management committee should be non nominated one member appoint.
3. The school will have 10% reservation for the brilliant students belonging to SC/ST and they will not be charged more that the fees set by the U.P. Madhyamik Shikshan Parishad/Besic Shiksha Parishad.
4. The school will not ask for any grants from the state Government an if the school is already affiliated to Madhyamik Shikshan Parishad & in the event of the school getting its affiliation from the Central Board for Secondary Education New Delhi, all previous affiliations of grants being enjoyed by the school shall stand annualed and cancelled from the date of such affiliation.
5. The School's teaching and non-teaching staff will avail salary and wages not below the norms set by the institutions funded by the State Government.
6. The services and riles and retirement benefits of the staff will be set as per norms of Non-Government/aided Senior Secondary Schools.
7. The order issued by the State Government from time to time will be followed by the school.

साधना सिंह

8. The School will maintain records and registers as per the prescribed and approved formats.
9. There will no amendment/rectification/extension of the above mentioned conditions without the prior consent to the State Government.

उक्त शिक्षण संस्थाओं, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा पालिटेक्निक कालेज व इंजिनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, प्रबन्ध एवं कम्प्यूटर शिक्षण संस्थान तथा मुस्लिम तथा मुस्लिम बच्चों को शिक्षित करने के लिये मदरसों की स्थापना करना, अनाथ बच्चों को रहन व शिक्षा ग्रहण करने के लिये अनाथालय का संचालन करना। मेडिकल कालेजो की स्थापना करना, शिक्षण संस्थापन करने हेतु सम्बन्धित बोर्ड, विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा परिषद एवं सम्बन्धित विभिन्न परिषदों तथा राज्य सरकार आदि से मान्यता प्राप्त करने का कार्य न्यासी मण्डल की ओर से प्रधान न्यासी अथवा प्रथम न्यासी करेगा।

2. बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिये प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर का विकास करने के लिए विद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना करना एंव संचालन करना।
3. नवीन शिक्षा प्रणाली के तहत सभी विषयों एवं भाषाओं का ज्ञान कराना। बालक बालिकाओ को कम्प्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र एवं कालेज की स्थापना करना। समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक विभाग, ललित कला एकेडमी, नाट्य एकेडमी द्वारा केन्द्रीय व राज्य सरकार, समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड, सिफ्सा, कपार्ड, नाबार्ड जिला ग्राम्य विभाग, नेडा, डूडा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महिला कल्याण कार्यक्रमोंका भागीदारी करना।
4. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम की स्थापना करना। परिवार कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का आयोजन कर जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करना। स्वास्थ्य के स्तर को उठाने के लिये ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिविरों एवं संगोष्ठी का आयोजन करना।
5. रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास केन्द्रो की निःशुल्क स्थापना करना, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं संगीत विद्यालय की स्थापना करना।

साधना सिंह

6. समाज में खेल भावना एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं प्रदुषण से होने वाले नुकसान पर प्रदर्शनी शिविर का आयोजन करना एवं वृक्षा रोपड़ करना।
7. कुष्ठ रोगो का निवारण एवं रोगियों हेतु आश्रम की स्थापना कर उन्हें आत्मनिर्भर करना, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, प्रौण शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों का संचालन करना। समस्त समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा एंव ग्राम सेवा का कार्य करना। क्षेत्र के समग्र विकास के परिक्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड द्वारा स्वीकृत हस्त निर्मित प्रवित्तियों के अनुसार मुख्यतः खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना।
8. पिछड़े वर्ग अल्प संख्यक, अनुसुचित जाति, जन जाति के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों के अनुसार उनकी सहायता करना एवं उन्हें निःशुल्क मार्गदर्शन देना।
9. चिकित्सा का क्षेत्र मे सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न भयंकर बिमारियों जैसे – कैंसर, तपेदिक, मलेरिया, मातियाबिन्द, एड्स तथा पल्स पोलियो टिकाकरण तथा हैपिटाईस जैसे भयंकर बिमारियों के बारे मे लोगो को जानकारी देना। महिलाओं के विकास के लिए सीलाई, कटाई, कढ़ाई, पेंटिंग कास्ट कलां, चित्रकलां आदि के शिक्षण एवं हस्तशिल्प के शिक्षण प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा गरीब विकलांग, दृष्टिहिन एवं मूक बधिर एवं प्रतिभानवान छात्र एवं छात्राओं को तकनिकी शिक्षा दिलाना।
10. मद्य निषेध एवं नशा उन्मूलन के प्रति जागरूकता लाना एवं उनके पूनर्वास एवं रोकथामे के लिए विभिन्न कार्यक्रमो का संचालन करना, बालश्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके बालको को शिक्षित कराना तथा उन्हे स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करना, स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल एवं ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम करना, गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम करना।
11. ग्रामीण विकास के लिए गांव की सड़के नाली, ग्रामीण शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था कराने का प्रयास करना। दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना। कन्याओं की भ्रूण हत्या रोकने की दिशा मे जागरूकता अभियान चलाना। यह संस्था निःशुल्क समय/सामान्य शुल्क पर विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों द्वारा औषधियों का उत्पादन करके प्रचार–प्रसार उपयोग व विवरण के प्रति जागृति पैदा करने का कार्य करेगी।

साधना सिंह

12. हस्तशिल्प (हैंडीकाफ्ट) के विभाग से समस्त कार्यक्रमो मे सहभागिता करना, जनसंख्या की बढ़ती हुई गति को कम एवं नियमित करने हेतु सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रमो को क्रियांवित करना।
13. सामाजिक कुरितियो को उन्मूलन, नशा उन्मुलन तथा दहेज प्रथा, धूम्रपान, जुआ, नशीली दवाओ का प्रयोग आदि के साथ–साथ समाज मे फैले अन्ध विश्वास, छुआ–छूत आदि रीति रीवाज को दूर करना, पशु पालन, मत्स्य पालन, इमो पालन के बारे मे लोगो को अवगत कराना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
14. स्वयं सहायत समूह का गठन करना तथा असहाय निर्धन महिला श्रमिको को तथा विधवा महिलाओ के कल्याणार्थ कार्य करना एवं शहरी ग्रामीण उपभोग्ताओ मे जागरूकता एवं उनके हक अधिकार को चिकित्सा पद्यति मे उपयोग होने वाली औषधियो एवं यंत्रो का (Resarch Development) और उपयोग करना।
15. व्यामशील, मनोरंजन केन्द्र, क्रिड़ा स्थल आदि जो शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यकत है उसकी व्यवस्था करना।
16. यह कि इस न्यास की सभी संस्थाओं व कार्ययोजनाओं एवं कार्यकलापों से संबधित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति, विस्तार, सेवा मुक्ति, पदावनति, निलम्बन तथा पदोन्नति आदि कार्य का सभी कार्य न्यासी मण्डल की ओर से प्रधान न्यासी एवं प्रथम न्यासी मे निहित होगा जिसका उपयोग प्रधान न्यासी एवं प्रथम न्यासी उपरोक्त उद्देश्यों एवं विषयो को ध्यान मे रखकर इस न्यास एवं संस्था के हित मे निष्पक्ष रूप से किसी अनुचित भेद–भाव या द्वेष भाव से विरत रहकर करेगी और आवश्यकतानुसार उससे बाध्याकारी विधि करेंगे और विधि के अनुसार यदि आवश्यकता होगा तो उसके लिए उचित प्रशासन योजना आदि की व्यवस्था भी अन्य न्यासीगण के सहयोग व परामर्श से करेंगी।
17. यह कि न्यास के उपरोक्त उद्देश्यो एवं कार्यों के लिए जो भी कार्य होगा उसके लिए यदि प्रधान न्यासी आवश्यक समझें तो उसकी उपसमिति गठित कर सकता है। उपसमिति नियुक्त करने व पदमुक्त करने का अधिकार प्रधान न्यासी (अध्यक्ष) को होगा।
18. यह कि न्यास के बैठक की कार्यवाही आदि करने हेतु न्यासियों मे से कम से कम एक तिहाई न्यासियों की उपस्थिति आवश्यक होगी और उसमे से प्रधान न्यासी अर्थात् न्यासीकर्ता की उपस्थिति एवं स्वीकृति आवश्यक होगी। न्यासी मण्डल के किसी मतभेद की अवस्था मे बहुमत के आधार पर आवांछित रूप से किये हुए किसी प्रस्ताव व विनिश्चय पर प्रधान न्यासी को

शालिनी सिंह

उस मतभेद का विवेकानुसार समाधान करने एवं उस विनिश्चय व प्रस्ताव को निरस्त करके उस स्थान पर अपना निर्देश अपने विवेकानुसार देने का अधिकार होगा।

19. नवीन शिक्षा प्रणाली के तहत सभी विषयों मे भाषाओ का ज्ञान कराना, बालक–बालिकाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाना आदि।
20. यह कि **ज्योति प्रकाश सिंह मेमोरियल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट,** को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक नियमावली बनाने तथा उसमे समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार न्यासी मण्डल को रहेगा, किन्तु इस संदर्भ मे अंतिम निर्णय का अधिकार प्रधान न्यासी (अध्यक्ष) को होगा।
21. **न्यास की सम्पत्ति**– यह कि प्रधान न्यासी श्रीमती साधना सिंह पत्नी स्व0 ज्योति प्रकाश सिंह निवासिनी ग्राम सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट गंगापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221302 द्वारा दिया गया मु0 10,000/–(दस हजार) रुपये मात्र **ज्योति प्रकाश सिंह मेमोरियल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट** मे निहित किया गया है।
22. यह कि इस न्यास की सभी न्यासियों ने स्वेच्छा से न्यासी होना स्वीकार किया है।
23. यह कि उक्त न्यास विलेख मे मु0 1,000/–रुपये का ई–स्टाम्प जिसका नं0 IN-UP67579012643805T Date 16/09/2021 AD दिया जा रहा है।

अतः मैने यह न्यास विलेख सहर्ष स्वेच्छानुसार विचार से शारीरिक व मानसिक रूप से बिना किसी जोर दबाव–प्रभाव नाजायज के यह ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

• निष्पादन का दिनांक : 16-09-2021

• स्थान : गंगापुर, वाराणसी

साधना सिंह

साक्षीगण

1 साक्षी का नाम : श्री बृजेश कुमार सिंह
पुत्र/पत्नी/पुत्री : पुत्र स्व0 राजबिहारी सिंह
पेशा : अन्य
निवासी : सुईचक बडीबारी, गंगापुर, वाराणसी।
मोबाइल संख्या : 6393236858

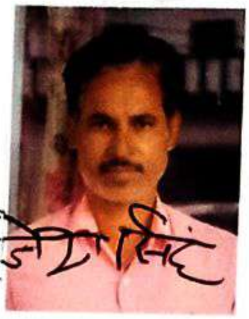

गवाह–प्रथम

2 साक्षी का नाम : श्री विकास कुमार सिंह
पुत्र/पत्नी/पुत्री : पुत्र श्री प्रमोद कुमार सिंह
पेशा : अन्य
निवासी : टोडरपुर, राजातालाब, वाराणसी।
मोबाइल संख्या : 9794249734

गवाह–द्वितीय

तहरीर दिनांक ➢ 16-09-2021 ई0

मसविदाकर्ता ➢
मनोज कुमार सिंह एडवोकेट
दीवानी कचहरी वाराणसी।

टाईपकर्ता ➢
Kishan Digital World
Gangapur Varanasi

साधना सिंह

आवेदन सं०: 202101035007750

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 37 के पृष्ठ 305 से 326 तक क्रमांक 72 पर दिनाँक 16/09/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय देव
उप निबंधक : गंगापुर
वाराणसी
16/09/2021